

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-12/स्था0-01-44/2025

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद के पत्रांक-946 दिनांक 08.05.2026 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री चंदन कुमार, (आई0डी0-जे0 10584), कनीय अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, अम्बा को उनके प्रथम संतान के जन्म के फलस्वरूप बिहार सेवा संहिता के नियम-220 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-9889 दिनांक 01.12.2015 के निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 12.05.2026 से 26.05.2026 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिनों का पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे, तत्पश्चात् भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद को उनके पत्रांक-946 दिनांक 08.05.2026 के प्रसंग में/ अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, अम्बा/ श्री चंदन कुमार, (आई0डी0-जे0 10584), कनीय अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, अम्बा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 2862 पटना, दिनांक - 24/5/26

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

M. A. S. 26/05/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।